तहसीलदार श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव द्वारा रोटरी क्लब पर पांच हजार वर्गफुट जमीन (नजूल) पर अवैध कब्जा करने के विरूद्ध लगाई पेनाल्टी वसूली केवल कागजों पर ही क्यों वसूली में ढीलाई क्यों?

रतलाम। हमारे संवाददाता को जिला प्रशासन के जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार रतलाम में रही पूर्व तहसीलदार श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव द्वारा रोटरी क्लब द्वारा अवैध रूप से शासकीय नजूल की करीब 5 हजार वर्गफीट जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उस पर भवन बना लिया था। के कारण जांच के बाद रोटरी क्लब के जवाबदार पर करीब 62 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी व जिला प्रशासन का जमीन पर कब्जा करने का आदेश दिया था परंतु खेद का विषय है कि जिला प्रशासन के जवाबदारी अधिकारी सरकारी राशि की वसूली की चिंता कम कर शायद है। अवैध कब्जा करने वालों को आपसी मिलीभगत के तहत समय पास कर वसूली की कार्यवाही केवल कागजों में ही की जा रही है और इस बहाने ईओडब्ल्यू के अधिकारी वसूली की मूल फाइल लेकर बैठ गए जिससे सरकारी रेवेन्यू की वसूली में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है? हमारे जिला प्रशासन के जवाबदार भी वसूली में ढिलाई कर करीब एक वर्ष से अधिक समय से ईओडब्ल्यू से फाईल वापस प्राप्त करने में तेजी लाने के बजाय केवल सोये से दिखाई दे रहे है? यानी शासकीय पदों पर बैठे जवाबदार अधिकारियों को शासकीय रेवेन्यू वसूलने के बजाय उल्टा भूमाफियाओं का सहयोग करते दिखाई दे रहे है, इसके पीछे क्या राज है?

क्या कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शासन हित में रोटरी क्लब से पेनाल्टी की राशि रुपया 62 लाख मय ब्याज के शीघ्र वसूल करने की पहल करेंगे तथा अवैध रूप से हथियायी गई 5 हजार वर्गफीट जमीन भी शासन के कब्जे में लिने की कार्रवाई करेंगे?

खेतलपुर की चरागाह की खसरा नंबर 89 की जमीन वर्ष 1989-90 में पट्टा क्रं. 1 अनुसार 32-85 वर्गमीटर जमीन कैलाशचंद्र पिता रामचंद्र पर दी गई जमीन को कैलाशचंद्र ने बेच दी, को क्या कलेक्टर पट्टे की शर्त अनुसार उक्त जमीन वापस शासन के कब्जे में लेंगे या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने देंगे?

रतलाम। विश्वस्त सूत्रों से हमारे संवाददाता को जानकारी मिली की कैलाशचंद्र पिता रामचंद्र को खसरा नंबर 89 खेतलपुर की चरागाह की जमीन वर्ष 1989-90 में करीब 32-85 वर्गमीटर जमीन पट्टे पर दी थी परंतु जानकारी मिली की उक्त जमीन को कैलाशचंद्र पिता रामचंद्र द्वारा बेच दी गई है। पट्टे की शर्तों के अनुसार उक्त पट्टे पर दी गई जमीन अगर कोई बेच देता है तो पट्टा निरस्त कर उक्त जमीन शासन के आधिपत्य में वापस ले ली जाती है। अतः जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से शासन हित में अपेक्षा (सुझाव) है कि उक्त जमीन शासन के आधिपत्य में लेने के निर्देश शीघ्र देंगे, ऐसी अपेक्षा है?

शाकम्भरी दर्पण 20/10/21

दीपावली के पहले पूरा करेंगे रखरखाव

पत्रिका

शुरू हुआ जर्जर सड़क का सुधार

पत्रिका करंट स्टोरी

रतलाम. शहर में जर्जर सड़क का रखरखाव कार्य नगर निगम ने शुरू कर दिया है। इसके लिए विभिन्न मोहल्लों में गिट्टी को डाला जा रहा है। बता दे बारिश व इसके पूर्व सीवरेज कार्य के चलते शहर के हर क्षेत्र की रोड जर्जर हो गई है। इससे कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे है। हालांकि जो प्लान बनाया गया है, उसमे नगर निगम से महलवाड़ा तक की जर्जर रोड को छोड़ दिया गया है।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों की जर्जर रोड के सुधार के लिए कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम ने नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक ली थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को तय किया गया था कि एक दो दिन में रोड सुधार का कार्य शुरू हो जाएगा। शहर में मुख्य रूप से जिन सड़कों पर पेचवर्क कार्य किया जाना है उन रोड में त्रिपोलिया गेट से चांदनीचौक तक, चांदनीचौक से लक्कड़पीठा रोड, चांदनी चौक से आबकारी चौराहा तक, तोपखाना से गोशाला रोड बगीचे तक, ईदगाह के आसपास खान बावड़ी तक, कसारा बाजार से त्रिपोलिया गेट तक, भरावा कुई से हाथी वाला मंदिर तक, चिंताहरण गणेश मंदिर से थावरिया बाजार पानी की टंकी तक की सड़क शामिल है।

थावरिया से महलवाड़ा

इसके अलावा थावरिया बाजार से महलवाडा तक, मोचीपुरा चौराहे से सूरजपोल तक, जैन कॉलोनी के अंदर तक, टीआईटी रोड की मुख्य सड़क, दो बत्ती से कालेज के सामने तिराहे तक, शनि देव मंदिर से कालिका माता मंदिर तक, गुलाब चक्कर वाली रोड से आरडीए ऑफिस होते हुए हाकिमवाड़ा तक, महावीर नगर एवं लोटस सिटी क्षेत्र, स्टेशन रोड मेन रोड, फ्रीगंज मेन रोड, शास्त्री नगर कॉलोनी के अंदर की रोड, तेलियों की सड़क से मामाजी के घर तक, केर बावड़ी वार्ड नंबर 26, लॉ कालेज रोड आनंद कॉलोनी तक, अर्जुन नगर मेन रोड, अमृत सागर सुलभ के सामने, दीनदयाल नगर मेन रोड तक, भगतपुरी तक, गौशाला रोड जैन स्कूल के पीछे तक, गोपाल गौशाला कॉलोनी तक, 80 फिट रोड गली नंबर 6 से हनुमान ताल तथा 80 फीट से अलकापुरी तक शामिल है।

यहां जारी परेशानी

नगर निगम ने पैचवर्क के लिए जो प्लान बनाया उसमे नगर निगम से महलवाड़ा क्षेत्र की जर्जर सड़क का रखरखाव कार्य छोड़ दिया है। ऐसे में इस क्षेत्र से प्रतिदिन निकलने करीब 10 हजार से अधिक लोगों को जर्जर रोड से ही निकलना होगा।

पत्रिका 20/10/21

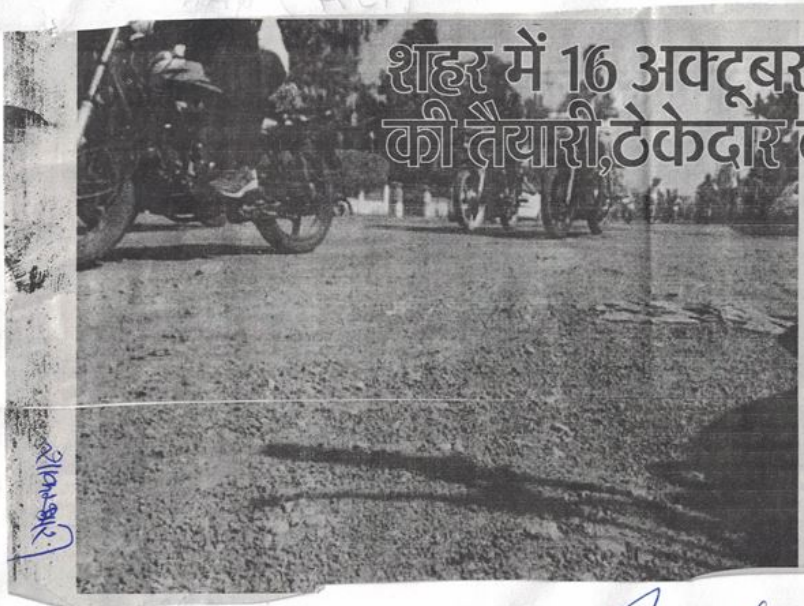

शहर में 16 अक्टूबर से सड़कों पर पैच वर्क की तैयारी, ठेकेदार को दिए दिशा निर्देश

रतलाम। रतलाम शहर में वर्षा पश्चात सड़कों पर पैचवर्क की तैयारी नगर निगम द्वारा करली गई है। विधायक चेतन्य काश्यप के निर्देशानुसार पैचवर्क के लिए सड़कें चिन्हित कर सूचीबद्ध की गई। सभी प्रमुख मार्गों पर पैच वर्क किया जाएगा, 16 अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सड़कों पर पैचवर्क कार्य के लिए गुरुवार को ठेकेदार को बुलाकर दिशा-निर्देशित किया गया, कार्य योजना पर चर्चा की गई। शहर में मुख्य रूप से जिन सड़कों पर पेचवर्क कार्य किया जाना है उन सड़कों में त्रिपोलिया गेट से चांदनीचौक तक, चांदनीचौक से लक्कड़पीठा रोड, चांदनी चौक से आबकारी चौराहा तक, तोपखाना से गोशाला रोड बगीचे तक, ईदगाह के आसपास खान बावड़ी तक, कसारा बाजार से त्रिपोलिया गेट तक, भरावा कुई से हाथी वाला मंदिर तक, चिंताहरण गणेश मंदिर से थावरिया बाजार पानी की टंकी तक की सड़क शामिल है। इसके अलावा थावरिया बाजार से महलवाडा तक, मोचीपरा चौराहे से सूरजपोल तक, जैन कॉलोनी ज्योति होटल से कालेज के सामने तिराहे तक, शनि देव मंदिर से कालिका माता मंदिर तक, गुलाब चक्कर वाली रोड आरडीए ऑफिस तक, बापू की होटल से हाकिमवाड़ा तक, महावीर नगर एवं लोटस सिटी क्षेत्र, स्टेशन रोड मेन रोड, फ्रीगंज मेन रोड, शास्त्री नगर कॉलोनी के अंदर की रोड, तेलियों की सड़क से मामाजी के घर तक, केर बावड़ी वार्ड नंबर 26, ला कालेज रोड आनंद कॉलोनी तक, अर्जुन नगर मेन रोड, अमृत सागर सुलभ के सामने, दीनदयाल नगर मेन रोड तक, भगतपुरी तक, गौशाला रोड जैन स्कूल के पीछे तक, गोपाल गौशाला कॉलोनी तक, 80 फिट रोड गली नंबर 6 से हनुमान ताल तथा 80 फीट से अलकापुरी तक शामिल है। इसी तरह शक्ति नगर मेन रोड तक, बिरियाखेड़ी वृद्ध आश्रम रोड, 80 फीट रोड से स्नेह नगर रोड, एचएमटी मसाला से रतलाम पब्लिक स्कूल तक, डोंगरे नगर मेन रोड तक, मोहन नगर मेन रोड पीडब्ल्यूडी की रोड तक, कस्तूरबा नगर मेन रोड तक, अलकापुरी मेन रोड तक तथा साक्षी पेट्रोल पंप के पास तक पैचवर्क किया जाएगा।

शाकम्भरी दर्पण 20/10/21

अनदेखी • अस्पताल की टाइलें टूट चुकी हैं, बिजली के तार खुले पड़े, सफाई व्यवस्था सुधारने की जरू

10 दिन पहले गिनाई थीं 35 खामियां, एक भी नहीं दूर क

भास्कर संवाददाता | जावरा

सिविल अस्पताल में स्वच्छता व सुविधाओं के मानकों को जांचने के लिए दस दिन पहले कायाकल्प अभियान की टीम आई थी। सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर 35 खामियों की लिस्ट प्रबंधन को दी थी लेकिन प्रबंधन ने एक भी खामी में सुधार नहीं किया है। नतीजा नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी अस्पताल पुराना लगने लगा है। मरीजों को यहां सुविधा तो मिल रही है लेकिन देखरेख व साफ-सफाई के अभाव में अस्पताल की खूबसूरती को पलीता लग रहा है। प्रबंधन का कहना है कि टीम द्वारा किए सर्वे की रैंकिंग जारी हो जाए, इसके बाद जो प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर सुधार करेंगे।

भोपाल से आई टीम के मुताबिक थोड़े बहुत सुधार के साथ अस्पताल रैंकिंग की लिस्ट में आगे आ सकता है, लेकिन प्रबंधन की ढीले रवैये के चलते ऐसा लग रहा है कि वो अपने द्वारा किए कार्यों से संतुष्ट है। अस्पताल के पंजीयन विभाग तक जाने के रास्ते में बिजली के खुले तार पड़े हैं। घटना-दुर्घटना के समय लोगों की भीड़ लगती है, कभी भी हादसा हो सकता है। प्रबंधन ने न तारों को ढंकवाया और न सेफ्टी इंतजाम किए। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी लचर है। कई कमरों की लाइटों में लगे जाले अब तक नहीं हटे हैं। ज्यादातर व्यवस्था जुगाड़ पर चल रही है। सफाई ठेकेदार को नोटिस तक देने के निर्देश दिए लेकिन [illegible] हुआ।

अस्पताल प्रबंधन ने तारों को ढंकवाया और सुरक्षा के इंतजाम किए

अस्पताल में खुले पड़े बिजली के तार दे रहे हादसों का न्योता।

भास्कर

खामिय
लिस्टेड

बीएमओ
दीपक पा
ने बताया
जो खामि
बताई थी
लिस्टेड
कायाकल्प
रैंक आ ज
इसके बाद
जो प्रतिवेद
तैयार होगा
उस आधा
पर सुधार
करवाएंगे।

दै. भास्कर २०/१०/२१

दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी, आज अंतिम सुनवाई फिर होगी निर्माण अनुमति निरस्त

रतलाम। सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाना और नियम विपरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ मंगलवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। द्वारका रेजीडेंसी के फर्म संचालकों की नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के समक्ष 20 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी, इसके पश्चात निर्माण अनुमति निरस्त की जाएगी। बता दें कि राममंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में जिला प्रशासन की ओर से नोटिस देने के बाद नियम विपरित निर्माण उजागर हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए। द्वारका रेजीडेंस के बिल्डर द्वारा सीसी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दशहरा पर्व अवकाश पश्चात सोमवार से शुरू सीमेंट कांक्रीट सड़क तोड़ने की कार्रवाई मंगलवार सुबह से दोबारा शुरू हुई। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़क उखाड़ने के अलावा मलबा उठाने के लिए नगर निगम द्वारका रेजीडेंसी के फर्म संचालकों से 15 हजार रुपए घंटे के मान से राशि वसूलेगा। इंदौर

इंदौर समाचार 20/10/21

क्या जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे की चरागाह की खसरा नंबर 456 की करीब 77 बीघा जमीन दिनांक 24-11-2014 को किस अधिकारी ने व किसके आदेश पर पंचेड़ आश्रम के नाम पर चढ़वाई?

रतलाम। विश्वस्त सूत्रों से हमारे संवाददाता को जानकारी मिली की चरागाह की जमीन खसरा नंबर 456 की करीब 77 बीघा से भी अधिक शासकीय भूमि दिनांक 24-11-2014 को किसी अधिकारी ने जो शायद है आशाराम जी का भक्त था ने पंचेड़ आश्रम के नाम पर चढ़वा दी (नामांतरण) करवा दिया और ऐसी भी चर्चा जिला प्रशासन में चली की नामांतरण के चाद उक्त फाइल विभाग से गायब भी हो गई या करवा दी गई।

अतः जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से शासन हित में अपेक्षा है कि उक्त चरागाह की करीब 77 बीघा से भी अधिक भूमि किस सक्षम अधिकारी के निर्देश से या भ्रष्टाचार के तहत उस समय के ग्रामीण एसडीएम द्वारा उक्त जमीन पंचेड़ आश्रम के नाम पर कैसे नामांतरण करवा दी तथा उक्त जमीन की शासन को कितनी राशि प्राप्त हुई। यह शासन हित का मामला है की जांच गहराई से किसी विश्वासपात्र अधिकारी से करवाना होगा तथा पूरा रिकार्ड आपको खुद को भी व्यक्तिगत रूप से देखना होगा वरना रतलाम जिला प्रशासन में ऐसे शातिर लोग बैठे है जो आपको गलत रिपोर्ट भी दे सकते है?

खाकसार

खाकसार दर्पण 20/10/21

49 हैण्ड स्प्रै मशीन से एक साथ वार्डों में हो रहा है

प्रतिदिन कीटनाशक दवा का छिड़काव

प्रसारण न्यूज • रतलाम

नगर के नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा 18 अक्टूबर सोमवार से नवीन कार्यव्यवस्था के तहत प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में एक ही समय में 49 कर्मचारियों द्वारा हैण्ड स्प्रै मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 1 वार्ड में एक ही समय में एक साथ 49 कर्मचारियों द्वारा हैण्ड स्प्रै मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ किया गया है ताकि नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके।

नवीन कार्य व्यवस्था के तहत 20 अक्टूबर बुधवार को वार्ड क्रमांक 21 से 25 तक प्रातः 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 26 से 30 तक सांय 6 से रात्रि 10 बजे तक, 21 अक्टूबर गुरुवार को वार्ड क्रमांक 31 से 35 तक प्रातः 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 36 से 40 तक सांय 6 से रात्री 10 बजे तक, 22 अक्टूबर शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 41 से 45 तक प्रातः 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 46 से 49 तक सांय 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिदिन कुल 10 वार्ड में एक ही समय में एक साथ 1-1 वार्ड में 49 कर्मचारियों द्वारा हैण्ड स्प्रै मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा तथा पांच दिन पश्चात् इसी क्रम को पुनः दोहराया जाएगा।

प्रसारण २०/१०/२१

पांच दिन में सात लाख को लगा दूसरा डोज

केंद्रों पर अब दूसरा डोज लगवाने वालों की भीड़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. टीकाकरण केंद्रों पर अब दूसरा डोज लगवाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। पिछले पांच दिन में सात लाख लोगों ने दूसरा डोज और सिर्फ 84 हजार ने पहला डोज लगवाया है। 14 अक्टूबर को 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा को पहला और 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया था। यह स्थिति एक माह से बनी हुई है।

16 जनवरी से अब तक हर दिन औसत 2.22 लाख लोगों को पहला डोज प्रतिदिन लगाया गया है। दूसरे डोज की स्थिति में 75 हजार लोगों को रोज के हिसाब से लगाया गया है। अब पहला डोज लगवाने काफी कम लोग पहुंच रहे हैं। हालाकि अभी भी प्रदेश में करीब दो करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया जाना है। इसमें एक साल लगेगा। पत्रिका

कुल- 656781030
पहला डोज- 49176908
दूसरा डोज- 17604122
पुरुष- 35288686
महिला- 31478477
18-44 आयु वर्ग- 41373634
45-60 आयु वर्ग- 15950070
60+ आयु वर्ग- 9457326

पत्रिका / 20/10/21

उचित मूल्य की दुकानों पर भी सेल्समेन दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में विभागों की समीक्षा की

रतलाम ● स्वदेश समाचार

59 हजार वैक्सीन उपलब्ध हैं, इस सप्ताह में सेकेंड डोज पर जोर देकर एक लाख टीकाकरण किया जाना है। उचित मूल्य की दुकानों पर सेल्समेन भी सेकेंड डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। रतलाम शहर में सेकेंड डोज पचास हजार से अधिक लोगों को लगाना है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। जिले के बाजना क्षेत्र के केलकच्छ में जल समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ बाजना के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि जनपद सीईओ जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उनको अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में पता नहीं है। निर्देश दिए कि केलकच्छ के पंचायत सचिव को नोटिस दिया जाए।

भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी

भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। बताया गया कि 1 सप्ताह में आम नागरिकों की जानकारी के लिए पूरे जिले की अवैध कॉलोनियों के बारे में जानकारी प्रकाशित कर दी जाएगी और फिर व्यक्ति जिम्मेदार होगा, यदि प्लॉट खरीदता है।

विद्युत उपभोक्ताओं के कॉल अटेण्ड हों

बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए कि आपके यहां आने वाले कॉल को रिस्पांस दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बिजली आमजन की मूलभूत जरूरत है। आम नागरिक विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में कॉल करता है तो रिस्पांस क्यों नहीं मिलता है। जब भी कॉल आए, उसको बताया जाए कि एक घंटा, आधा घंटा या जो भी समय सीमा से, बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी। **बाल चिकित्सालय में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो** - उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि नकली खाद-बीज नहीं बिके, इस बारे में स्वयं पता लगाकर कार्रवाई करते रहें, क्योंकि नकली बेचने वाला आपको आकर नहीं बताएगा कि वह नकली बेच रहा है। बाल चिकित्सालय में बच्चों को भर्ती के दौरान पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध रहें, इसके लिए कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए निर्देश।

स्वदेश 20/10/21

हर्षोल्लास से मनाया गया विजयादशमी का पर्व,पोलो ग्राउंड में हुआ रावण दहन

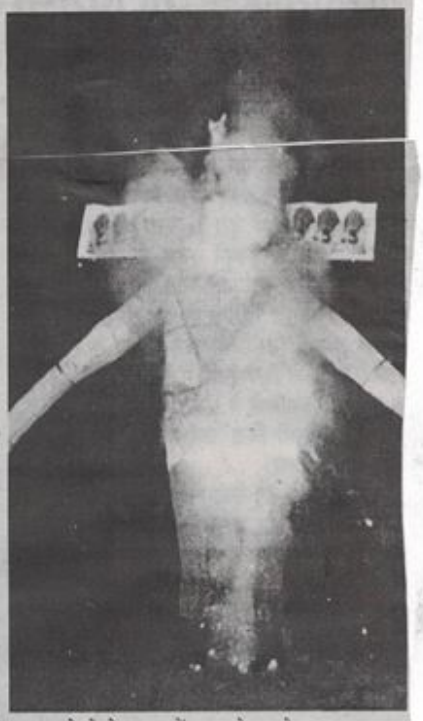

रतलाम। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर आज 15 अक्टूबर शुक्रवार को पोलोग्राउण्ड में रावण के पुतले का दहन शासन द्वारा दिये गये कोविड-19 के निर्देशों के तहत किया गया।

पोलो ग्राउंड पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा हनुमान का स्वागत नगर विधायक चेतन्य जी काश्यप , कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम , पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, भाजपा नेता प्रदीप उपाध्याय, श्रीमती अनिता कटारिया, बजरंग पुरोहित, मंगल लोढ़ा, श्रीमती सोना शर्मा , आदित्य डागा, कृष्ण कुमार सोनी, राकेश परमार, उपायुक्त विकास सोलंकी, तहसीलदार गोपाल सोनी, कार्यपालन यंत्री सुरेश चन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख , जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्याम सोनी सहित जिला प्रशासन , पुलिस प्रशासन व निगम अधिकारी एवं कर्मचारी आदि ने पुष्पहारों से किया।

शाकम्भरी दर्पण 20/10/21

11 एलाइजा रिपोर्ट में डेंगू का एक केस, 69 घरों में लार्वा मिला

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 11 एलाइजा जांच रिपोर्ट में मंगलवार को डेंगू का एक नया मरीज मिला। इस तरह अब जिले में डेंगू के मामलों की संख्या 431 पहुंच गई है। इसमें जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज लैब की एलाइजा जांच रिपोर्ट के डेंगू पाजिटिव शामिल हैं।

शहर में 450 घरों का मलेरिया विभाग की टीम ने सर्वे किया, जिसमें 69 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया है। मंगलवार को भी जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज, बाल चिकित्सालय और मेडिकल कालेज में एंटीजन किट में पाजिटिव मिले डेंगू के नए मरीज पहुंचे। बाल चिकित्सालय में अभी भी क्षमता से अधिक बीमार बच्चे उपचार ले रहें हैं। इसके चलते अतिरिक्त बेड लगाए हैं। सरकारी स्तर पर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को भर्ती कर उपचार देने की सुविधा बाल चिकित्सालय में ही संचालित है, इसलिए बेड कम पड़ रहे हैं।

लगातार मौसमी बुखार और डेंगू की चपेट में आने से बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कालेज में भी हर जितने मरीज डिस्चार्ज होते हैं, उतने भर्ती हो रहे हैं। मंगलवार को 250 से अधिक मरीज भर्ती रहे। इनके सभी ऐसे मरीज हैं, जिनकी एंटीजन किट जांच में डेंगू की रिपोर्ट पाजिटिव है। मानव सेवा समिति ब्लडबैंक में भी प्लेटलेट्स लेने वालों की संख्या में कमी नहीं रही। सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि डेंगू के नए मामले निकल रहे हैं। एक बार कोई बीमारी फैल जाती है, तो कंट्रोल होने में समय लगता है। चिंता की बात नहीं है, लगातार बचावू के उपाय और सर्वे चल रहा है।

नईदुनिया २०/१०/२१

शासकीय नालों पर अतिक्रमण हटेगा

स्थान चिन्हित करने के लिए समिति गठित

रतलाम। शहर में कई शासकीय नालों पर अतिक्रमण देखने में आया है, इस कारण जल निकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। विगत दिनों अतिवृष्टि के दौरान स्थिति देखने में आई थी। उक्त स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए शासकीय नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्थानों को चिन्हित करने के लिए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एक समिति गठित की गई है जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके का परीक्षण कर अवैध निर्माण चिन्हित करके 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गठित समिति में एसडीएम शहर श्री अभिषेक गहलोत, तहसीलदार श्री गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार सुश्री पूजा भाटी तथा नायब तहसीलदार श्री मनोज चौहान शामिल है। आयुक्त नगर निगम समिति को आवश्यक सहयोग देंगे।

जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र निर्माण का काम लगभग पूरा

रतलाम। नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रैंचिंग ग्राउंड के पीछे लगभग 3 लाख रूपए की लागत से केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निर्माण को गति देकर कार्य समाप्ति की अवस्था पर ला दिया गया है। बंध्याकरण केंद्रों पर शहर के आवारा श्वान लाए जाकर बंध्याकरण किया जाएगा। साथ ही उनमें रेबीज की बीमारी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए टीकाकरण भी किया जाएगा। इससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा, साथ ही डॉग बाइट पर रेबीज बीमारी की संभावना भी नहीं रहेगी। श्वान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम शहर में आवारा श्वानो द्वारा काटने के संदर्भ में समीक्षा करते हुए कहा कि रतलाम शहर डाग बाइट के मामले में प्रदेश मे द्वितीय स्थान पर है। शहर में 1700 व्यक्तियों को श्वानों द्वारा काटा जा चुका है जो चिन्तनीय है। नगर निगम इस मामले में शीघ्र एक्शन ले। आवारा श्वानों की धरपकड करे। इस कार्य में कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करे।

बंध्याकरण केंद्र पर वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रुप में शहर से सीमित संख्या में श्वान पकड़े जाकर बंध्याकरण कार्य किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 आवारा श्वान है। स्वतंत्र

स्वतंत्र रतलाम २०/१०/२१

दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व्यवसाय करने वाले अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु आवेदन करें

रतलाम। इस वर्ष दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय व्यवसाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु निर्धारित प्रारूप ड्डद्म5 में आवेदन करें। इसके लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर नियत की गई है।

आवेदन के साथ लाइसेंस फीस 500 रुपए निर्धारित मद में चालान से जमा करवाकर चालान की असल प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जिसमें दिनांक तथा हस्ताक्षर हो। निर्धारित मद 0070 अन्य प्रशासकीय सेवाएं, 103 अन्य सेवाएं विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां जिला प्रशासन से प्राप्तियां अन्य प्राप्तियां में लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। आवेदन पत्र पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प भी चस्पा किया जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रतलाम शहर तथा ग्रामीण तहसील स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदकों को अपने-अपने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए रतलाम शहर हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर तथा रतलाम ग्रामीण के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण, तहसील जावरा तथा पिपलोदा के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी जावरा, तहसील आलोट एवं ताल क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी आलोट, तहसील सैलाना, रावटी एवं बाजना क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी सैलाना को मय पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के परामर्श उपरांत सुरक्षात्मक दृष्टि से नियत किया जाएगा। नियत स्थान के अलावा अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड़ वाले बाजार क्षेत्र में पटाखों का उपयोग एवं विक्रय नहीं हो और हाथ ठेलो पर दुकानें लगाने की दशा में लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। लाइसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिए रेत, पानी तथा अग्निशामक की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना नहीं होने पाए। नियत मानकों के पटाखों का ही उपयोग तथा विक्रय होगा, प्रदूषण फैलाने वाले तथा अधिक आवाज वाले बम राकेट आदि घातक पटाखों का उपयोग और विक्रय नहीं होगा। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि दुकाने इस प्रकार से लगाई जाएंगी कि एक आतिशबाजी की दुकान दूसरी आतिशबाजी की दुकान से या अन्य ज्वलनशील भंडार से कम से कम 15 वर्ग मीटर की दूरी पर हो। इदौर

इन्दौर समाचार २०/१०/२१

रात 9.30 बजे तक चली सप्लाई, आज शेड्यूल से मिलेगा पानी

दीपावली पूर्व मेंटेनेंस से बिजली बंद, चार घंटे बंद रहे धोलावड़ के पंप, शहर के सात इलाकों में 11 घंटे देरी से हुआ पेयजल वितरण

भास्कर संवाददाता | रतलाम

त्योहारी सीजन में चल रहा बेढंगा बिजली मेंटिनेंस सुविधा की बजाए समस्या बन गया है। ताजा मामला पानी सप्लाई से जुड़ा है। मंगलवार को शहर के सात इलाकों में 11 घंटे देरी से सुबह 6 बजे की बजाए शाम 5 बजे से जलप्रदाय किया। वजह, बिजली मेंटिनेंस बताया जा रहा है, इस कारण चार घंटे धोलावड़ डेम के दोनों इंटकवेल के पंप बंद रहे। इससे गंगासागर और पोलोग्राउंड टंकी खाली ही रह गई।

गंगासागर व काटजू नगर टंकी से जुड़े 6 और पोलोग्राउंड टंकी से जुड़े एक इलाके में शाम को पानी दिया। इसके अलावा गड़बड़ाए शेड्यूल के कारण सुबह शहर के कई इलाकों में या तो बंटा ही नहीं या देरी से दिया।

अनाउंस कराया लेकिन पता नहीं चला

सप्लाई बिगड़ने के बाद नगर निगम ने मंगलवार सुबह लोहार रोड, शहर सराय, हाट की चौकी, तोपखाना सहित आसपास के क्षेत्रों में पानी नहीं आने का अनाउंस कराया था। बावजूद इसके लोग खाली बर्तन रखकर नल आने का इंतजार करते रहे। समय निकलने पर पूछताछ करने पर नल नहीं आने का पता चला। इंजीनियर सुहास पंडित ने बताया बिजली मेंटिनेंस के कारण चार घंटे पंप बंद रहे थे। मंगलवार को कुछ इलाकों में शाम को सप्लाई दी। बुधवार से शेड्यूल के अनुसार ही पानी दिया जाएगा।

इन इलाकों में सुबह की बजाए शाम को मिला पानी ▪ **पोलोग्राउंड टंकी** - महावीर नगर, स्टेशन रोड

▪ **गंगासागर टंकी** - इंद्रा नगर, वरदान नगर, पीएंडटी कॉलोनी, लक्ष्मणपुरा, जवाहरनगर आदि।

▪ **काटजू नगर टंकी** - काटजू नगर व आसपास का कुछ क्षेत्र।

ये नगर निगम का जल उपभोक्ता प्रभार काउंटर, अब यहां जलकर भरने आने वाले नागरिकों को धूप और बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई दिनों से चली आ रही उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने के लिए निगम ने काउंटर के बाहर टीन शेड बना दिया है। 16 बाय 3 मीटर का टीन शेड लगभग 1.75 लाख रुपए से तैयार हुआ है। फोटो - चिंटू मेहता

भास्कर

महू रोड क्षेत्र में आज सुबह 10 बजे से होगी बिजली कटौती

रतलाम | बिजली कंपनी बुधवार को 11 केवीए स्टेशन रोड फीडर का दीपावली पूर्व मेंटिनेंस करेगी। इससे महू रोड, गुलमोहर कॉलोनी, टीआईटी रोड, राज बॉक्स, पेपर मिल, बस स्टैंड, सिल्वरइन कॉलोनी, आनंद कॉलोनी, स्टेशन रोड, मनहर गली एवं आसपास के क्षेत्रों की बिजली सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।

कल यहां बिजली कटौती : गुरुवार को दीनदयाल नगर फीडर का मेंटिनेंस कार्य करेगी। कनेरी रोड, पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, डोंगरा धाम कॉलोनी, आरके नगर, धोलावड़ रोड, ग्लोबस कॉलोनी, सूरजश्री कॉलोनी, सूरजश्री एक्सटेंशन, धीरजशाह नगर, सैफी नगर, गौड़ गृह निर्माण कॉलोनी, रामनगर, करण नगर, ओसवाल नगर, शुभम सिद्धिविनायक कॉलोनी, रुद्राक्ष गोल्ड कॉलोनी, साई श्री कॉलोनी, टाटानगर पंचमुखी हनुमान मंदिर, दीनदयाल नगर, अमृत सागर तालाब के आसपास के बिजली सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।

बांगरोद में आज बंद रहेगी बिजली : बिजली कंपनी बुधवार को 33 केवीए बांगरोद लाइन का मेंटिनेंस करेगी। इससे ग्राम बांगरोद, बाजनखेड़ा, धमोत्तर एवं आसपास के क्षेत्रों की बिजली सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।

दै. भास्कर 20/10/21

रख-रखाव व रैलिंग के अभाव में

सागोद रोड़ रेल पुलिया

मलेनी नदी हतनारा

केलकच्छ जाने वाली पुलिया

जिले में कई स्थानों पर जानलेवा साबित हो रहे पुल-पुलियाएं

शासन द्वारा स्वीकृत बजट के बाद भी मरम्मत और निर्माण नहीं हो रहा

रतलाम ● शरद जोशी

जिले में कई ऐसी पुलियाएं और पुल हैं, जहां पर रोक अथवा रैलिंग नहीं लगी होने से दुर्घटना का भय बना रहता है। बारिश के पूर्व प्रशासन संबंधित विभाग को निर्देशित करता है कि ऐसी पुल और पुलियाओं को चिन्हित किया जाए, जहां रैलिंग अथवा रोक नहीं है, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। निर्देश के बाद प्रशासन भी भूल जाता है कि जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, उस पर अमल भी हुआ है अथवा नहीं।

पिछले दिनों पिपलौदा तहसील के हतनारा क्षेत्र में एक बस का स्टेयरिंग फेल होने से बस मलेनी नदी में उतर गई। यह तो अच्छा हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी। ऐसी ही दुर्घटना कई बार रावटी-रतलाम के बीच हो चुकी है, जहां की पुलिया पर रैलिंग नहीं लगी है। जिले में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं इन पुल-पुलियाओं पर हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन के निर्देश के मुताबिक संबंधित विभाग ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।

जान हथेली पर लेकर इन पुलियाओं को करना पड़ता है पार

सूत्र बताते हैं कि इन पुलियाओं पर रोक अवरोध या रैलिंग लगाने के लिए विभाग ने बजट प्रावधान भी कर दिया है, लेकिन आज तक कई पुलियाओं पर रैलिंग नहीं लगी। बस और वाहन चालकों को जान हथेली पर लेकर इन पुलियाओं को पार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो कई बार रपट और पुलियाओं पर पानी आ जाता है। दोनों ओर के लोग पुलिया पार नहीं कर पाते और जो पुलिया पार करते हैं, वह पानी में अटक जाते हैं। ऐसी ही एक घटना करमदी के निकट बारिश के दिनों में रपट पर हो चुकी है। बाइक सवार तो बच गया, लेकिन मोटरसाइकिल पानी में बह गई। पिपलौदा क्षेत्र में भी कई घटनाएं घटी, जहां की नदियों के रपट पर रैलिंग नहीं लगे हैं। केलकच्छ पुलिया के बारे में बताया जाता है कि इसके लिए भी राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन रैलिंग और पुलिया नहीं बनी।

सागौद रेलवे ओव्हरब्रिज भी कम खतरनाक नहीं

सागौद रेलवे ओव्हरब्रिज भी इतना खतरनाक है कि इसके दोनों ओर दुर्घटना का भय बना रहता है। किसी जमाने पर यहां पर ध्यान आकर्षित किए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने डामर के ड्रमों में मिट्टी भरकर अवरोधक बनाए थे, जो रैलिंग का काम करते थे, लेकिन वे अब भी नजर नहीं आते है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान इस प्रतिनिधि ने विधायक चेतन्य काश्यप तथा निगमायुक्त का ध्यान आकर्षित किया था और इस खतरनाक पुलिया के फोटो भी दिखाए थे, तब इन दोनों ने कहा था कि शीघ्र ही यह पुलिया चौड़ी होने वाली है। इस बात को भी छह माह के ऊपर हो गए, लेकिन न तो अभी तक पुलिया चौड़ी हुई और न ही दोनों ओर ऐसी रैलिंग लगी, जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। दिल्ली-मुंबई रेलवे मार्ग पर यह पुलिया बनी है, जहां रेल यातायात का दबाव बना रहता है।

सड़क भी जर्जर और लाइटें भी नहीं

यह भी ज्ञात है कि इस पुलिया के दूसरी ओर कई धार्मिक और मांगलिक भवन हैं, जहां पर नियमित आवागमन बना रहता है और यही मार्ग शिवगढ़-बाजना होकर राजस्थान की ओर जाता है। कई बसें इस मार्ग पर चलती हैं। सड़क जर्जर है, जो दुर्घटना को सदैव आमंत्रित करती है। पुलिया क्षेत्र में कहीं भी बराबर लाइटें लगी हुई नहीं है और ना ही रतलाम सीमा में प्रवेश के दौरान कहीं लाइट नजर आती है, जिससे चार और दो पहिया वाहन बैलेंस बिगड़ने पर सीधे रेल पटरी पर गिरने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसी मार्ग पर जैन दिवाकर अस्पताल है, जहां मरीजों का आवागमन भी बना रहता है और एक थाना भी पुलिया के निकट ही है। उसके बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में न तो विद्युत व्यवस्था है और ना ही सही तरीके से सड़क बनी हुई है। लोगों का कहना सही है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने पर ही शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित होता है। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी लगता है हमारे नेता और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे।

प्रशासन चिंता करे ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो

प्रशासन को चाहिए कि जिस प्रकार वह अवैध कॉलोनियों तथा शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने के लिए संकल्पबद्ध है, उसी प्रकार इन पुल-पुलियाओं पर रैलिंग तथा अवरोधक बनाने की चिंता भी करे ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन पुल-पुलियाओं के निर्माण या मरम्मत की राशि स्वीकृत हो गई है, उसका निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ, यह भी जांच का विषय है। स्वदेश

स्वदेश 20/10/21

पटवारी ने की लाखों की धोखाधडी, फर्जी तरीके से कराए गए जमीनों के नामान्तरण पर करवा दिया लाखों रु. का केसीसी लोन

रतलाम। जिले के ताल कस्बे में पदस्थ पटवारी द्वारा की गई अनोखी धोखाधडी का मामला सामने आया है,जिसमें पटवारी ने फर्जी तरीके से कुछ ग्रामीणों की जमीनों को दूसरों के नाम पर नामान्तरण करवा दिया और इस फर्जी नामान्तरण के आधार पर बैंक से करीब चालीस लाख रु. का केसीसी लोन भी निकलवा लिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार,जिले की ताल तहसील में पदस्थ पटवारी गोवर्धनलाल ओहरी ने तहसील कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर जगदीश मालवीय (बलाई)के साथ मिलकर ग्राम केलूखेडा और सुरजना के कुछ किसानों की जमीनों का नामान्तरण अवैध तरीके से अन्य व्यक्तियों के नाम पर करवा दिया। अवैध तरीके से नामान्तरण करने के बाद इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करीब 39 लाख रु. का केसीसी लोन भी निकलवा लिया। जिन किसानों की जमीनों का नामान्तरण किया गया था,उनकी शिकायत पर जांच की गई तो पता चला कि सारा खेल पटवारी गोवर्धनलाल ओहरी का किया धरा है। जिले की बरखेडा पुलिस ने ताल राजस्व निरीक्षक दिनेश पिता दयाराम टोकरे 26 की रिपोर्ट पर पटवारी समेत कुल 9 व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधडी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के दो अलग अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज किए है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार,आरोपी पटवारी गोवर्धनलाल ओहरी ने ग्राम सुरजना के सूरजबाई पिता भामा,मांगू पिता भामा और मांगू पिता लक्ष्मण के नाम की जमीनों का नामान्तरण सुरजना निवासी समरथ पिता बग्गा जी 28 के नाम पर कर दिया। इसके लिए पटवारी ने तहसील कार्यालय के कम्प्यूटर आपरेटर जगदीश मालवीय को अपने साथ मिलाया और राजस्व रेकार्ड में हेरफेर कर जमीनों को समरथ के नाम पर दर्शा दिया। इसके बाद इन्ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जावरा स्थित इण्डसइण्ड बैंक से नौ लाख का रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन भी स्वीकृत करवा लिया। स्वीकृत लोन में से आठ लाख अस्सी हजार रु. इन्होने बैंक खाते से निकाल कर बंटवारा भी कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पटवारी गोवर्धन लाल ओहरी,कम्प्यूटर आपरेटर,जगदीश मालवीय,रामेश्वर पाटीदार,रवि श्रीवास्तव और समरथ पिता बग्गा जी के खिलाफ धारा 420,467,468,471 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

इसी तरह पटवारी गोवर्धनलाल ने केलूखेडी निवासी रामा,बालू,शंकर,दरबार सिंह,बद्रीलाल,रोडीबाई,पेपाबाई तथा ग्राम शमीमाबाद के विष्णु पिता अमरसिंह, बेगम बी पति बाबर खां,आबिद खां,फिरोज खां,हुस्ना बी इत्यादि करीब चौदह लोगों की जमीनों का अवैध तरीके से नामान्तरण कर दिया और इण्डसइण्ड बैंक से अन्य लोगों को करीब तीस लाख रु. का केसीसी लोन करवा दिया। पुलिस ने इस मामले में राजस्व निरीक्षकदिनेश टोकरे की रिपोर्ट पर पटवारी गोवर्धनलाल ओहरी,रामेश्वर पाटीदार,रवि श्रीवास्तव,समरथ,कारूलाल गायरी,राजेन्द्र सिंह,माया बाई और श्यामाबाई के विरुद्ध भादवि की धारा 420,467,468,471 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ताल पुलिस ने इन दोनों प्रकरण के एक आरोपी समरथ पिता बग्गाजी को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी फरार है।

दैनिक भास्कर 20/10/21

मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी

आचार संहिता वाले जिले छोड़कर शेष के आदिवासी विकासखंडों में नवंबर से होगी लागू

भोपाल, (प्रसं)। मंगलवार को मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकासखंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखंडों में माह नवंबर, 2021 से लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक वंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई। इस मौके पर सीएस इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभांवित होंगे। मुख्यालय गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिए प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किए जाएंगे। एक वाहन द्वारा एक माह में औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हजार रुपए प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रुपए अनुमानित है।

वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय होगा उसकी गुणवत्ता का परीक्षण: वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। वाहन में सामग्री तौलने के लिए इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, माईक, स्पीकर, पीओएस मशीन रखने, बैठने एवं खाद्यान्न सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्थाएं होंगी। वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जाएगा। परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह निर्धारित व्यय का भुगतान किया जाएगा। परिवहनकर्ता को वाहन क्रय के लिए ऋण राशि पर मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिए 2 लाख और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा। मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा। २१५

हितग्राही की मजदूरी और श्रम की होगी बचत

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान संचालित करने का प्रावधान होने से दुकान के मुख्यालय ग्राम को छोड़कर शेष आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को परिवहन के सुगम साधन न होने के कारण प्रतिमाह लगभग 5 किमी दूरी तय कर 23 से 37 किग्रा वजन की सामग्री सिर पर रखकर ले जानी पड़ती है। दिव्यांग, वृद्ध शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं गरीब परिवारों को मजदूरी का नुकसान भी होता है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रि-परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। योजना से हितग्राही की मजदूरी एवं श्रम की बचत, पात्र परिवारों को निवास के ग्राम में राशन सामग्री का प्रदाय और समय पर राशन सामग्री का वितरण हो सकेगा।

राज एक्सप्रेस २०/१०/२१

पशुप्रेमी संस्थाओं ने कहा विलेन बनाती है निगम, श्वान बंध्याकरण के हर तरीके से मदद को तैयार

रतलाम। शहर में श्वान बंध्याकरण करने के लिए धरपकड़ करने के निर्देश एवं रोकने वाले पर कार्रवाई करने के कलेक्टर के बयान पर शहरभर की पशुप्रेमी संस्थाए लामबंद हो गई है।

मंगलवार को प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमने खुद श्वान बंध्याकरण की पहल की थी। श्वान को पकड़ने के लिए अमानवीय तरीकों का उपयोग नहीं हो एवं इस कार्य में संस्थाएं भी मदद को तैयार है।

पशुप्रेमी संस्थाओं की संयुक्त प्रेसवार्ता में प्रबल सामाजिक संस्था की अदिति दवेसर, उपाध्यक्ष सरोज गुप्ता, जीवमैत्री परिवार के मदन सोनी, प्रकाश लोढ़ा , दीपक कटारिया, ह्यूमन कॉंपरेशन की आशा गुप्ता, एनीमल लवर्स ग्रुप की शिल्पा जोशी, सृजन फांउडेशन की रजनी प्रजापत सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि शहर मे प्रदेश की सबसे अधिक डॉग बाइट हुई है जो कि चिंता का विषय है। जब भी श्वानों को

अमानवीय तरीकों का विरोध, नियमानुसार काम करें, मदद करने को तैयार है संस्थाएं

जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण

उल्लेखनीय है नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे करीब तीन लाख रुपये की लागत से केंद्र का निर्माण किया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निर्माण को गति दी गई। बंध्याकरण केंद्रों पर शहर में सड़कों पर घूम रहे श्वान लाकर बंध्याकरण किया जाएगा। साथ ही उनमें रैबिज की बीमारी नहीं हो, इसलिए टीकाकरण भी किया जाएगा। इससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा। साथ ही डाग बाइट पर रैबिज की आशंका भी नहीं रहेगी। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रूप में शहर से सीमित संख्या में श्वान पकड़े जाकर बंध्याकरण किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 श्वान हैं।

पकड़ने की बात आती है, नगर निगम पशुप्रेमी संस्थाओं को खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश करने लग जाती है कि संस्थाएं उन्हें रोक रही है। असल में संस्थाओं ने कभी उन्हें नही रोका । जीवप्रेमी संस्थाएं यह चाहती है कि जो नियम बने हुए हैं, उन्हीं तरीकों से उन्हें पकड़ा जाए एवं उनका बंध्याकरण किया जाए । इसके लिए संस्थाएं भी तन-मन धन से सहयोग करने को तैयार है। अदिति दवेसर ने कहा अमानवीय तरीकों का विरोध है। उन्होंने कहा नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण बताया गया है , वो अधूरा है। एक दिन में 80 श्वानों के बंध्याकरण करने का दावा किया जा रहा है । जो जीव बोल नही पाते उनके खाने ,रहने की एवं रहने की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए भी पशुप्रेमी संस्थाएं मदद को तैयार है। सभी संस्थाओं ने कहा वे एक बार फिर से कलेक्टर से मिलकर सुव्यवस्थित बंध्याकरण करने के लिए मदद का प्रस्ताव रखेंगे।

दवेसर दुनीया 20/10/21

अब तक 7552 आयुष्मान कार्ड बनाए गए

- नगर निगम के आईटी सेल में 18 दिनो में 180 हितग्राही के बनाएं आयुष्मान कार्ड

- निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवाएं आयुष्मान कार्ड

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 से 18 अक्टूबर तक 180 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अक्टूबर को 4 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये इस तरह 1 से 18 अक्टूबर तक 180 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7552 आयुमान कार्ड बनाये जा चुके है।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावे।

प्रसारण

प्रसारण २०/१०/२१

दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व्यवसाय करने वाले अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु आवेदन करें

अंतिम तिथि 20 अक्टूबर

प्रसारण न्यूज • रतलाम

इस वर्ष दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय व्यवसाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु निर्धारित प्रारूप डी-5 में आवेदन करें। इसके लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर नियत की गई है।

आवेदन के साथ लाइसेंस फीस 500 रुपए निर्धारित मद में चालान से जमा करवाकर चालान की असल प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जिसमें दिनांक तथा हस्ताक्षर हो। निर्धारित मद 0070 अन्य प्रशासकीय सेवाएं, 103 अन्य सेवाएं विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां जिला प्रशासन से प्राप्तियां अन्य प्राप्तियां में लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। आवेदन पत्र पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प भी चस्पा किया जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रतलाम शहर तथा ग्रामीण तहसील स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदकों को अपने-अपने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए रतलाम शहर हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर तथा रतलाम ग्रामीण के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण, तहसील जावरा तथा पिपलोदा के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी जावरा, तहसील आलोट एवं ताल क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी आलोट, तहसील सैलाना, रावटी एवं बाजना क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी सैलाना को मय पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के परामर्श उपरांत सुरक्षात्मक दृष्टि से नियत किया जाएगा। नियत स्थान के अलावा अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड़ वाले बाजार क्षेत्र में पटाखों का उपयोग एवं विक्रय नहीं हो और हाथ ठेलो पर दुकानें लगाने की दशा में लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। लाइसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिए रेत, पानी तथा अग्निशामक की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना नहीं होने पाए।

नियत मानकों के पटाखों का ही उपयोग तथा विक्रय होगा, प्रदूषण फैलाने वाले तथा अधिक आवाज वाले बम राकेट आदि घातक पटाखों का उपयोग और विक्रय नहीं होगा। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि दुकाने इस प्रकार से लगाई जाएंगी कि एक आतिशबाजी की दुकान दूसरी आतिशबाजी की दुकान से या अन्य ज्वलनशील भंडार से कम से कम 15 वर्ग मीटर की दूरी पर हो।

प्रसारण २०/१०/२१

आतिशबाजी व्यवसाय का लाइसेंस बनवाने के लिए अंतिम दिन आज

रतलाम. दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व्यवसाय के लिए इस काम को करने के इच्छुक लोगों के पास बुधवार को अंतिम मौका है। इच्छुक व्यक्ति अस्थाई फटाका लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने इसके लिए आवेदन का अंतिम दिन 20 अक्टूबर निर्धारित किया था। ऐसे में आज इस प्रक्रिया के लिए अंतिम अवसर है। नियत स्थान के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड़ वाले बाजार क्षेत्र में पटाखों का विक्रय नहीं कर सकेगा। लाइसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिए रेत, पानी तथा अग्निशामक की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना नहीं होने पाए। प्रदूषण फैलाने वाले तथा अधिक आवाज वाले बम राकेट आदि घातक पटाखों का उपयोग नहीं होगा। आतिशबाजी की दुकान दूसरी दुकान से भंडार से कम से कम 15 वर्ग मीटर की दूरी पर हो।

पत्रिका २०/१०/२१

रतलाम में बनेगी अवैध कॉलोनियों की सूची :

प्रशासन एक हफ्ते में जारी करेगा लिस्ट, प्लॉट खरीदने वाले जान सकेंगे कौन सी कॉलोनी अवैध

रतलाम।

जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जिला प्रशासन तैयार कर रहा है। कलेक्टर रतलाम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 1 हफ्ते में रतलाम जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी कर दी जाएगी।

इन्दौर

इससे प्लॉट खरीदने वाले निवेशकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी कॉलोनी वैध है और कौन सी अवैध। वहीं,अवैध कॉलोनियों और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

रतलाम शहर ही नहीं नामली, सैलाना, जावरा आलोट, पिपलोदा, ताल जैसे कस्बों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल जारी है। आदिवासी अंचल के शिवगढ़, रावटी रतलाम ग्रामीण के धराड़,धामनोद जैसे गांव में भी भू माफियाओं ने अवैध कॉलोनियां काट दी है। इसमें कई लोगों ने प्लॉट खरीद कर अपनी पूंजी लगाई है। रतलाम में चलाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुहिम के अंतर्गत जिले के हर कस्बे गांव की अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है। आम लोग अवैध कॉलोनियों में अपना निवेश नहीं करें, इसके लिए जिला प्रशासन एक हफ्ते में जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ट्वीट कर अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने की जानकारी दी है। अवैध कॉलोनियों की सूची जारी किए जाने के बाद निवेशक सोच समझकर ही अवैध कॉलोनी में निवेश करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की परेशानी का जिम्मेदार निवेशक स्वयं होगा। भू माफियाओं और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी।

इन्दौर समाचार २०/१०/२१

प्रदीप त्रिवेदी व राजेन्द्र शर्मा का वेतन रोका

रतलाम। खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर रोक लगाने हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम में सी.सी.टी.वी. (कन्ट्रोल रूम) से कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखने व वीडियो क्लिप सहेजन हेतु पृथक-पृथक शिफ्टों में नियुक्त कर्मचारी प्रदीप त्रिवेदी सहायक वर्ग-2 व राजेन्द्र शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा 2 दिन से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उक्त कर्मचारियों का 18 अक्टूबर से वेतन रोका जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। खुले में कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखने व वीडियो क्लिप सहेजन हेतु श्री त्रिवेदी सहायक वर्ग-2 को प्रातः 6 से दोपहर 3 बजे तक व श्री शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक को दोपहर 3 से रात्रि 12 बजे तक नियुक्त किया जाकर कचरा फेंकने वाले नागरिक, दुकानदार की जानकारी झोन प्रभारी, स्पॉट फाईन टीम व वार्ड प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु दोनों कर्मचारियों द्वारा विगत 2 दिनों से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर 18 अक्टूबर से वेतन रोका जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

प्रसारण / २०/१०/२१

लापरवाही बरतने पर एक दिन का वेतन रोका

रतलाम | खुले में कचरा डालकर गंदगी फैलाने वाले नागरिक व दुकानदारों पर नजर रखने के लिए आयुक्त सोमनाथ झारिया ने व्यवस्था बनाई है। इसमें पुलिस कंट्रोल रूम में प्रदीप त्रिवेदी व राजेंद्र शर्मा की ड्यूटी लगाई थी। दोनों ने एक बार भी रिपोर्ट नहीं दी है। इस पर आयुक्त ने एक दिन का वेतन रोक दिया है।

दै. भास्कर २०/१०/२१

कीटनाशक दवा छिड़काव के 5 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। नगर के नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु नवीन कार्य व्यवस्था के तहत प्रत्येक वार्ड में एक ही समय में 49 कर्मचारियों द्वारा हैण्ड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव अभियान प्रारंभ किए जाने के दौरान 5 कर्मचारियों द्वारा कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार अनुपस्थित कर्मचारी अर्जुन-राजेन्द्र, कन्हैया-कमल, राकेश-रामप्रसाद, रोहित-प्रभुदयाल व राजेन्द्र फतरोड़ का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रसारण

जिले में टीकाकरण के सेकंड डोज पर फोकस

1 सप्ताह में लगेंगे 1 लाख वैक्सीन,समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

रतलाम। कोरोना टीकाकरण महा अभियान के तहत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की गई। बताया गया कि जारी सप्ताह में 1 लाख वैक्सीन जिले में लगाए जाएंगे, सेकंड उस पर फोकस किया जा रहा है।

कलेक्टर ने एसडीएमवार समीक्षा की, निर्देश दिए कि बैकलॉग खत्म करना है अभी 59 हजार वैक्सीन उपलब्ध है। इस सप्ताह में सेकंड डोज पर जोर देते हुए लगभग 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। आलोट को निर्देश दिए कि 25 या 26 सेंटर्स पर रोजाना कार्य किया जाए। प्रभारी बाजना डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को निर्देश दिए कि सभी विभागों के कर्मचारियों को काम पर लगाकर लक्ष्य पूर्ति करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन द्वारा भी सेकंड डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। रतलाम शहर में सेकंड डोज की 50 हजार पेंडेंसी है।

बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए कि आपके यहां आने वाले कॉल को रिस्पांस दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बिजली आमजन की मूलभूत जरूरत है, आम नागरिक विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में कॉल करता है तो रिस्पांस क्यों नहीं किया जाता है जब भी कॉल आए उसको बताया जाए कि एक घंटा, आधा घंटा या जो भी समय सीमा हो बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी।

जिले के बाजना क्षेत्र के केलकच्छ में जल समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ बाजना के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि जनपद सीईओ जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उनको अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में पता नहीं है। निर्देश दिए कि केलकच्छ के पंचायत सचिव को नोटिस दिया जाए। भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। बताया गया कि 1 सप्ताह में आम नागरिकों की जानकारी के लिए पूरे जिले की अवैध कालोनियों के बारे में जानकारी प्रकाषित कर दी जाएगी और फिर व्यक्ति जिम्मेदार होगा यदि प्लॉट खरीदता है। उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि नकली खाद बीज नहीं बिके, इस बारे में स्वयं पता लगाकर कार्रवाई करते रहें क्योंकि नकली बेचने वाला आपको आकर नहीं बताएगा कि वह नकली बेच रहा है। बाल चिकित्सालय में बच्चों को भर्ती के दौरान पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध रहें, इसके लिए कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त बेड व्यवस्था करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए गए।

स्वदेश रतलाम २०/१०/२१

हर डाल (शाख) पर (विभाग में) भ्रष्टाचार रूपी उल्लू विराजमान है, वो गरीबों व ईमानदार लोगों का खून चूसे बिना (रिश्वत लिए बिना) कोई काम नहीं करता

रतलाम की जनता को रोजाना पानी देने का नगर निगम तथा नगर विधायक जी का वादा टांय-टांय फिस होते दिखाई दे रहा है?

(डी.पी. अग्रवाल)

रतलाम। आम जनता में चल रही चर्चा से हमारे संवाददाता को मालुम हुआ कि हमारे नगर विधायक महोदय तथा नगर निगम के जवाबदारों ने रतलाम की जनता को वादा किया था कि दीपावली 2020 से शहर में रोजाना पानी सप्लाई किया जाएगा। परंतु अब वर्ष 2021 की दीपावली आने ही वाली है पर शायद है वो वादा केवल चुनावी लाली पाप ही साबित हुई और विधायक महोदय तथा नगर निगम के जवाबदारों ने जो वादे किए थे वो टांय-टांय फीस होते हुए दिखाई दे रहे है। निगम ने तथा विधायक महोदय यह बतावें कि उन्होंने जनता से किए जनहित के वादे कौन से पूरे किए? हां सड़क बनाने का वादा किया था उसमें भी घटिया निर्माण कार्य की वजह से तथा सिवरेजलाइन डालने वाले ठेकेदार से आपसी मिलीभगत से सीवरेज वालों ने सड़क खोदकर वापस जैसी थी वैसी नहीं बनाई और शहर में अधिकारियों की सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार से आपसी सेटिंग या मिलीभगत' के कारण घटिया निर्माण कार्य करने की वजह से सड़कें बरसात में उखड़ गई जिसके कारण जनता के आक्रोश के कारण कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सिटी इंजीनियर को हटाना पड़ा, यही हाल अन्य विभागों के भी हैं। क्योंकि नगर निगम में वर्षों से जमे डिप्लोमा होल्डर इसके अलावा और क्या करेंगे? अधिकारियों को अपनी हालत ठीक करना है, उनको जनता की व सरकार की क्या परवाह, सब अपनी-अपनी रोटियां सेंकने में लगे है और नेताओं तथा ऊपर वाले अधिकारियों की जी-हजूरी (चमचागिरी) में व्यस्त है। यही कारण है कि हर स्त[illegible] पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या कोई अधिकारी सीना ठोककर कह सकता है कि उसके अधिनस्थ विभाग में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं है?

जनता में चर्चा है कि हर डाल (शाख) पर (विभाग में) भ्रष्टाचार रूपी उल्लू विराजमान है, वो गरीबों व ईमानदार लोगों का खून चूसे बिना (रिश्वत लिए बिना) कोई काम नहीं करते चाहे सरकार कितने ही कड़े कानून बना दें? अगर सरकार रिश्वत लेने वालों के विरूद्ध भी कठोर कानून (आजीवन कारावास की सजा तथा उनकी तमाम सम्पत्ति जब्त करने का कानून बना दे तो कभी भ्रष्टाचार रुक सकता है?

आकाश्वरी दर्पण 20/10/21

अस्थाई पटाखा लाइसेंस लेने का आज अंतिम दिन

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

इस वर्ष दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय व्यवसाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आज आवेदन की अंतिम दिनांक है। आवेदन के साथ लाइसेंस फीस 500 रुपए निर्धारित मद में चालान से जमा करवाकर चालान की असल प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जिसमें दिनांक' तथा हस्ताक्षर हो। निर्धारित मद 0070 अन्य प्रशासकीय सेवाएं, 103 अन्य सेवाएं विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां जिला प्रशासन से प्राप्तियां अन्य प्राप्तियां में लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। आवेदन पत्र पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प भी चस्पा किया जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रतलाम शहर तथा ग्रामीण तहसील स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

-नियत मानकों के पटाखों का ही उपयोग तथा विक्रय होगा, प्रदूषण फैलाने वाले तथा अधिक आवाज वाले बम राकेट आदि घातक पटाखों का उपयोग और विक्रय नहीं होगा। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि दुकाने इस प्रकार से लगाई जाएंगी कि एक आतिशबाजी की दुकान दूसरी आतिशबाजी की दुकान से या अन्य ज्वलनशील भंडार से कम से कम 15 वर्ग मीटर की दूरी पर हो। २१५

राज एक्सप्रेस 20/10/21

राहत : गड्ढों भरी सड़कों से निजात मिलना शुरू, पेचवर्क चालू

रतलाम | शहर में गड्ढों भरी सड़कों से राहत मिलना शुरू हो गई है। नगर निगम ने सड़कों का पेचवर्क शुरू कर दिया है। बारी-बारी से सभी सड़कों का पेचवर्क किया जाएगा। इससे सीवरेज, पानी की पाइप लाइन और बारिश से छलनी हुई सड़कों से लोगों को राहत मिलेगी।
फोटो-चिंटू मेहता

दै. भास्कर २०/१०/२१

अतिक्रमण हटाने बाद अब मंजूरी निरस्त करने की तैयारी

मनमर्जी का निर्माण

द्वारका रेसीडेंसी का गड़बड़झाला

कमेटी के अधिकारी कर रहे जांच, 75 हजार रुपए से अधिक वसूली का नोटिस जारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. गड़बड़ी की द्वारका रेसीडेंसी संचालक द्वारा निर्माण के दौरान सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को सोमवार को तोड़ने के बाद अब प्रशासन व नगर निगम निर्माण के लिए जारी मंजूरी को निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी दस्तावेज की जांच चल रही है। इसके अलावा अतिक्रमण तोड़ने के दौरान जो सरकारी व्यय हुआ, उसका 75 हजार रुपए से अधिक का नोटिस जारी कर दिया गया है।

वर्ष 2019 में द्वारका रेसीडेंसी का निर्माण शुरू किया गया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन के अनुसार छल का सहारा लिया गया व सरकारी करीब 15 हजार वर्गफीट भूमि को आमरास्ता बता दिया गया। इसके बाद करीब 30 से अधिक निवेशकों ने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट से लेकर कमर्शियल उपयोग के लिए दुकानों की बुकिंग करवाई। लेकिन द्वारका रेसीडेंसी संचालक का झूठ लंबा नहीं चल पाया। कलेक्टर को हुई शिकायत के बाद कमेटी का गठन 2021 में किया गया व कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण किया गया है। इस बीच निर्माण करने वाले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में गए, लेकिन वहां से पहले कलेक्टर कोर्ट में जाने को कहा गया। कलेक्टर कोर्ट ने निर्णय देते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा करने व अतिक्रमण हटाने को कहा। हालांकि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त टीम ने सरकारी भूमि पर एकतरफा कब्जा कर लिया था।

75 हजार से अधिक रुपए का नोटिस

इधर सोमवार को जो अतिक्रमण नगर निगम व प्रशासन की संयुक्त टीम ने तोड़ा उसके बाद प्रतिघंटे हजार रुपए की दर से 75 हजार रु से अधिक का नोटिस जारी कर दि गया है। जारी नोटिस की तामिल हो गई है। अब सात दिन में द्वार रेसीडेंसी संचालक को यह राशि ज करना है, अन्यथा द्वारका रेसीडें को ही कब्जा रुपए की वसूली लिए करने की योजना है।

इधर जांच शुरू

इधर कलेक्टर कोर्ट द्वारा ए पखवाड़े में जांच करके गलत दी मंजूरियों को निरस्त करने के आदे दिए गए थे। अब जांच शुरू हो है। इसके अलावा जिन अधिकारि ने गड़बड़ी करके मंजूरी दी गई थ उनकी तलाश भी पूराने रिका देखकर की जा रही है। उन कार्रवाई भी शासन को भेजक करवाई जाएगी।

पत्रिका 20/10/21

सख्ती • दूसरे दिन भी चलती रही कब्जाई 8500 वर्गफीट सरकारी जमीन का पक्का निर्माण तोड़ने की कार्रवाई

रेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने कलेक्टर ने प्रतिवेदन भोपाल भेजा, अब खरीदार भी करने लगे हैं तकादा

धोखे की द्वारका रेजीडेंसी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अफसरों से सांठगांठ करके सरकारी जमीन को रास्ता बताकर तानी जा रही बहुमंजिला इमारत द्वारका रेजीडेंसी का रेरा रजिस्ट्रेशन जल्द निरस्त हो जाएगा। दूसरी बार हुई जांच में भी मल्टी के सामने वाली 15276 वर्गफीट जमीन सरकारी ही निकली है। इसके बाद रेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए प्रशासन ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल को प्रतिवेदन भेज दिया है। रेरा अधिकारी पहले कह चुके हैं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया होगा तो रजिस्ट्रेशन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

द्वारका रेजीडेंसी फर्म द्वारा मल्टी के सामने वाली सीसी वर्क करके कब्जाई 8500 वर्गफीट जमीन को नगर निगम ने मुक्त करा लिया है। मंगलवार को दोपहर बाद तक नगर निगम के दो बुलडोजर ने बिना अनुमति अतिक्रमण करते हुए किया सीसी वर्क तोड़कर सरकारी जमीन को सुरक्षित कर लिया है। निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया ने बताया तोड़फोड़ में आए खर्च की वसूली संबंधित फर्म से 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से की जाएगी।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होगा तो रेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा

द्वारका रेजीडेंसी फर्म द्वारा सीसी कर कब्जाई 8500 वर्ग फीट जमीन मंगलवार को प्रशासन ने मुक्त करा ली।

यह है मामला

सर्वे नंबर 43/1131 और चेतक ब्रिज के बीच लगभग 15276 वर्ग सरकारी जमीन है। 8500 वर्गफीट पर द्वारका रेजीडेंसी फर्म ने बिना अनुमति के सीमेंट कांक्रीट कर दिया था। खरीदारों को धोखा देने के लिए उसे सड़क बताकर दुकानों और फ्लैट्स की ऊंची कीमतों पर बुकिंग की जा रही थी। 29 अगस्त को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर नगर निगम और राजस्व अमले ने नपती कर लोहे की जाली लगाकर यह भूमि सुरक्षित कर ली है।

नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र में साफ लिखा है, पूर्व में नगर सुधार न्यास की भूमि फिर सैलाना रोड

43 / 1131 / मिन–1 रकबा 0.760 है. भूमि दर्ज की गई । मौके चतुरसीमा इस प्रकार है कि उत्तर किश्चियन कब्रिस्तान,दक्षिण में रेलवे के मकानात,पूर्व में नगर सुधार न्यास की भूमि फिर सैला रोड,पश्चिम में खेती की भूमि व राजीव नगर स्थित है। प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक की भूमि निजी स्वत्व

कलेक्टर नजूल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में 2019 में रजिस्टर्ड फर्म हैदरी एंड संस एवं फर्म गुलाम मुर्तुजा, सैफुद्दीन, फरीदा जुल्फिकार अली, शब्बीर अली, मोहसीन अली, रजियाबाई, अब्दुल्ला, फकुद्दीन, हुसैनबानो बाई, अकबर अली, मरियमबाई आदि ने सर्वे 43/1131/मिन-1 रकबा 0.760 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय/व्यवसायिक निर्माण के लिए नजूल अनापत्ति मांगी थी। बदले में कलेक्टर कार्यालय नजूल ने 14 जनवरी 2019 को जो प्रमाण-पत्र जारी किया था। चर्तुसीमा में साफ लिखा है कि पूर्व में नगर सुधार न्यास की भूमि फिर सैलाना रोड। लिखा है कि सरकारी भूमि को प्रभावित न किए जाने की शर्त पर नजूल अनापत्ति दी जाती है। विभागों की आपत्ति आने पर यह अभिमत स्वमेय निरस्त माना जाएगा।

होने से उक्त भूमि पर निर्माण किये जाने पर नजूल निस्तार की भूमि प्रभावित नही होती है। भूमि आस पास की शासकीय भूमि को प्रभावित न किये जाने की शर्तो पर नजूल अनापत्ति दी जाती है।

भास्कर

दै. भास्कर 20/10/21

अवैध कॉलोनियों की बन रही कुंडली एक सप्ताह में जारी होगी सूची

कलेक्टर ने हर गांव, कस्बे, शहर में अवैध कॉलोनियों की मांगी जानकारी

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की कुंडली प्रशासन तैयार कर रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया 1 हफ्ते में रतलाम जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इससे प्लॉट खरीदने वाले निवेशकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी कॉलोनी वैध है और कौन सी अवैध। वहीं, अवैध कॉलोनियों और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

रतलाम शहर ही नहीं नामली, सैलाना, जावरा आलोट, पिपलौदा, ताल जैसे कस्बों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल जारी है। आदिवासी अंचल के शिवगढ़, रावटी रतलाम ग्रामीण के धराड़,धामनोद जैसे गांव में भी भू माफियाओं ने अवैध कॉलोनियां काट दी

है। इसमें कई लोगों ने प्लॉट खरीद कर अपनी पूंजी लगाई है। रतलाम में चलाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुहिम के अंतर्गत जिले के हर कस्बे गांव की अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है। आम लोग अवैध कॉलोनियों में निवेश नहीं करें, इसके लिए जिला प्रशासन एक हफ्ते में जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने जा रहा है।

कलेक्टर ने ट्वीट कर दी जानकारी

जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जिला प्रशासन तैयार कर रहा है। कलेक्टर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 1 हफ्ते में रतलाम जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इससे प्लॉट खरीदने वाले निवेशकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी कॉलोनी वैध है और कौन सी अवैध। वहीं, अवैध कॉलोनियों और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सोच समझ कर करें निवेश, जारी रहेगी कार्रवाई

मुहिम के अंतर्गत जिले के हर कस्बे गांव की अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है। आम लोग अवैध कॉलोनियों में अपना निवेश नहीं करें, इसके लिए जिला प्रशासन एक हफ्ते में जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने जा रहा है। अवैध कॉलोनियों की सूची जारी किए जाने के बाद निवेशक सोच समझकर ही अवैध कॉलोनी में निवेश करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की परेशानी का जिम्मेदार निवेशक स्वयं होगा। भू माफियाओं और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ट्वीट कर अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने की जानकारी दी है। अवैध कॉलोनियों की सूची जारी किए जाने के बाद निवेशक सोच समझकर ही अवैध कॉलोनी में निवेश करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की परेशानी का जिम्मेदार निवेशक स्वयं होगा। भू माफियाओं और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी।

दबंग दुनिया 20/10/21

हम प्रशासन के खिलाफ नहीं लेकिन मानवीयता बरतें जिम्मेदार

पत्रिका

रतलाम. शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण के साथ ही उन्हे पकड़ने के दौरान बाधक बनने वालों पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किए जाने के बयान के बाद सोमवार को जीवों के प्रेमी एक मंच पर आ गए। उनका कहना था कि वह प्रशासन के साथ है लेकिन उनका विरोध सिर्फ तरीके का है, मानवीयता का भाव बरते तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।

जीवों से प्रेम करने वाले विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक प्रेसवार्ता आयोजित की। इसमें बताया कि जिम्मेदारों का कहना है कि एक दिन में 80 श्वानों का बधियाकरण किया जाएगा संस्थाओं से जुड़े लोगों कहना था कि श्वानों को पकड़ने के काम के लिए इस काम को करने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए बैंगलुरु और पुणे में जिस तरीके से श्वानों का पकड़ा जाता है, उस तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी न हो। संसाधन की जरूरत होगी तो निगम हमें बताए उनके पास बजट की कमी होगी तो आर्थिक रूप से भी सहायता के लिए तैयार हैं। प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नैत्री अदिति दवेसर, आशा गुप्ता, प्रकाश लोढ़ा, मदन सोनी सहित अन्य कई सदस्य मौजूद रहे

पत्रिका 20/10/21

शहर के बाद अब गांव में भी लगेगा जुर्माना

पालतू श्वान ने सड़क पर गंदगी फैलाई तो देना पड़ेगा जुर्माना

रतलाम @ पत्रिका. स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक शहर में स्पॉट फाइन याने की आर्थिक दंड लगता था। अब इसको आगे बढ़ाते हुए जिले के अंचल में भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने नगर निगम आयुक्त के साथ कलेक्टर को निर्देश भेज दिये हैं। इतना ही नहीं पालतु मवेशी, कुत्तों ने शहर में गंदगी की, सार्वजनिक स्थान पर आयोजन के दौरान गंदगी होने पर चार घंटे में सफाई नहीं की तो भी नगर निगम शहर में व अन्य संस्था ग्रामीण क्षेत्र में जुर्माना करेगी।

जिले के सभी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों को तोड़ने वालों पर उसी समय पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। अभियान की शुरुआत जिले में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर पर्यावरणीय सुधार और व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये किया गया है।

पत्रिका

पालतू जानवरों ने गंदगी की तो जुर्माना

व्यावसायिक उपयोग के दौरान मछली, पोल्ट्री गंदगी को अलग किये बगैर कचरा प्रदान करना, बगैर डस्टबिन के और बिना अलग किये हुए कचरा देने वाले विक्रेता, ठेला, फेरीवाला आदि, निवास और गली की सफाई न रखने, घरेलू पालतू जानवरों द्वारा कचरा/खुले में मल-मूत्र, विष्ठा कराने पर, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त न करने पर और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना लगेगा।

सख्ती से लागू करेंगे

नए निर्देश मिल गए है। इनको सख्ती से लागू करवाया जाएगा। जो नियम तोड़ेगा उस पर तुरंत जुर्माना किया जाएगा। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त, ननि

पत्रिका 20/10/21

बनेगी अवैध कॉलोनियों की सूची : प्रशासन एक हफ्ते में जारी करेगा लिस्ट, प्लॉट खरीदने वाले जान सकेंगे कौन सी कॉलोनी अवैध

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जिला प्रशासन तैयार कर रहा है। कलेक्टर रतलाम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 1 हफ्ते में रतलाम जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी कर दी जाएगी, इससे प्लॉट खरीदने वाले निवेशकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी कॉलोनी वैध है और कौन सी अवैध। वहीं, अवैध कॉलोनियों और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

रतलाम शहर ही नहीं नामली, सैलाना, जावरा आलोट, पिपलौदा, ताल जैसे कस्बों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल जारी है। आदिवासी अंचल के शिवगढ़, रावटी, रतलाम ग्रामीण के धराड़, धामनोद जैसे गांव में भी भू माफियाओं ने अवैध कॉलोनियां काट दी है, इसमें कई लोगों ने प्लॉट खरीद कर अपनी पूंजी लगाई है।

रतलाम में चलाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुहिम के अंतर्गत जिले के हर कस्बे गांव की अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है। आम लोग अवैध कॉलोनियों में अपना निवेश नहीं करें, इसके लिए जिला प्रशासन एक हफ्ते में जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ट्वीट कर अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने की जानकारी दी है। अवैध कॉलोनियों की सूची जारी किए जाने के बाद निवेशक सोच समझकर ही अवैध कॉलोनी में निवेश करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की परेशानी का जिम्मेदार निवेशक स्वयं होगा। भू माफियाओं और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी।

दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी

आज अंतिम सुनवाई फिर होगी निर्माण अनुमति निरस्त

प्रसारण न्यूज • रतलाम

सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाना और नियम विपरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ मंगलवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। द्वारका रेजीडेंसी के फर्म संचालकों की नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के समक्ष 20 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी, इसके पश्चात निर्माण अनुमति निरस्त की जाएगी।

बता दें कि राम मंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में जिला प्रशासन की ओर से नोटिस देने के बाद नियम विपरित निर्माण उजागर हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए। द्वारका रेजीडेंस के बिल्डर द्वारा सी सी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

दशहरा पर्व अवकाश पश्चात सोमवार से शुरू सीमेंट कांक्रीट सड़क तोड़ने की कार्रवाई मंगलवार सुबह से दोबारा शुरू हुई। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़क उखाड़ने के अलावा मलवा उठाने के लिए नगर निगम द्वारका रेजीडेंसी के फर्म संचालकों से 15 हजार रुपए घंटे के मान से राशि वसूलेगा। प्रसारण

प्रसारण २०/१०/२१

बारिश के दौरान बिगड़े थे शहर के हालात

डिजिटल सर्वे : अब सैटेलाइट मैप बताएगा किस नाले पर कहां कब्जा

पत्रिका सिटी इश्यू

कलेक्टर के निर्देश पर सर्वे के बाद अब शुरू होगा सर्वे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के नालों पर बने अवैध कब्जों को हटाए जाने के कलेक्टर के निर्देश के बाद बुधवार से प्रशासनिक दल इस संबंध में जानकारी जुटाने का काम करेगा। नालों की वस्तुस्थिति पता लगाने के लिए प्रशासन सेटेलाइट मैप का सहारा लेगा। दरअसल मैप के माध्यम से शहर के सभी बड़े नालों की वास्तविक स्थिति का पता दफ्तर में बैठकर ही अधिकारियों चल जाएगा।

एक ही दिन में बारिश में शहर में जलजला नजर आने लगा था। हर तरफ लोग एक-दूसरे की मदद करते नजर आ रहे थे। आमजन की इस परेशानी के कारण का पता लगाने के बाद कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने नालों से अतिक्रमण हटाने की बात कही है। इसके लिए जिस दल को गठित किया गया है, वह सेटेलाइट मैप से पहले बाधक बन रहे स्थानों को चिन्हित करेगा, उसके बाद उक्त सभी स्थलों पर टीम मौके पर जाकर किस जगह पर किसका कब्जा है, वह परीक्षण करेगी। उसके साथ ही स्थानों का चयन किया जाएगा।

तो निरस्त होगी अनुमति

नालों का परीक्षण करने के साथ ही जिन लोगों के द्वारा उस पर निर्माण किया गया है, उनसे निर्माण से जुड़ी अनुमति मांगी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अनुमति नहीं दिखा पाता है तो चिन्हित स्थल को नगर निगम की टीम के माध्यम से हटवाया जाएगा। इतना ही नहीं यदि किसी के पास निर्माण से जुड़ी अनुमति मिलती है तो उसका परीक्षण किया जाएगा। साथ ही यदि अनुमति नियमों से हटकर जारी की गई होगी तो उसे निरस्त करके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त नियमों के विरूद्ध अनुमति जारी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

प्रशासन की नजर

1. कालिका माता क्षेत्र से गुरजरने वाला नाला
2. उकाला रोड का नाला
3. शास्त्री नगर का नाला
4. शैरानीपुरा का नाला
5. राजगढ़ नयागांव का नाला
6. बरबड़ का नाला

दस दिन में रिपोर्ट

कलेक्टर ने नालों पर अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए जिस दल को गठित किया है, वह आगामी दस दिनों के भीतर सर्वे कार्य पूरा करके अपनी रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट का परीक्षण किए जाने के बाद उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नालों के अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कलेक्टर द्वारा बनाई गई समिति में एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी तथा नायब तहसीलदार मनोज चौहान को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को टीम को चाहा गया सहयोग देने की बात कही गई है।

डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से सर्वे

सभी चिन्हित नालों का परीक्षण डिजिटल और फिजिकल तरीके से किया जाएगा। गूगल मैप के माध्यम से वास्तविक स्थिति और पूर्व की स्थिति का पता आसानी से चल जाएगा। उसके बाद मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया जाएगा। उसके आधार रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी। उसके बाद उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। - **अभिषेक गेहलोत**, एसडीएम शहर

पत्रिका २०/१०/२१